"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक 6714/डी-1674/21-ब/छ.ग./05.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 5215/डी-1370/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 20-6-2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित जिले पर कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिल कुमार शुक्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	श्री आर. सी. एस. सामंत, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	राजनांदगांव

Raipur, the 16th August 2005

NOTIFICATION

No. 6714/D-1674/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotics Drugs and Psychotropic substances, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this department Notification No. 5215/D-1370/XXI-B/C.G./05, dated 20-6-2005, namely :—

AMENDMENT

In the said Notificaiton, In Schedule,—

For the officer mentioned in column (2) of the Schedule, the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of the existing Presiding officer (2)	Name of the newly posted Judicial officer (3)	Name of the Distirct (4)
1.	Shri Anil Kumar Shukla, Additional District and Sessions Judge.	Shri R. C. S. Samant, Additional District and Sessions Judge.	Rajnandgaon

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2005—भाद्र 5, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क. (पं.)/पांच (40).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक :

(1) एफ-10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (30), दिनांक 27-03-2002
(2) एफ-10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (31), दिनांक 27-03-2002
(3) एफ-10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (32), दिनांक 27-03-2002
(4) एफ-10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (13), दिनांक 20-03-2003
(5) एफ-10/55/2003/वा. कर (पं.)/पांच (75), दिनांक 14-08-2003
(6) एफ-10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (65), दिनांक 27-07-2004

में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचनाओं में शब्द "उद्योग आयुक्त" के स्थान पर "उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग" पढ़ा जावे.

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क. (पं.)/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क. (पं.)/पांच (40), दिनांक 27 अगस्त 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2005

NOTIFICATION

No. F-10-20/2005/C.T. (R.)/ V (40).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby makes the following further amendments in this department's Notifications No.

(1) F-10/19/2002/C.T.(R)/V (30), dated 27-03-2002
(2) F-10/19/2002/C.T.(R)/V (31), dated 27-03-2002
(3) F-10/19/2002/C.T.(R)/V (32), dated 27-03-2002
(4) F-10/19/2002/C.T.(R)/V (13), dated 20-03-2003
(5) F-10/55/2003/C.T.(R)/V (75), dated 14-08-2003
(6) F-10/19/2002/C.T.(R)/V (65), dated 27-07-2004

namely :—

AMENDMENT

In the above said notifications the word "Commissioner of Industries" should be read as "Commissioner of Industries/Director, Industries".

2. This Notification will come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2005—भाद्र 5, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-367/2004/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 6 में शब्द तथा अंक "28 वर्ष" के स्थान पर शब्द एवं अंक "30 वर्ष" स्थापित किया जाए.

2. नियम 6 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

3. द्वितीय अनुसूची के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (9) की प्रविष्टि शब्द तथा अंक "28 वर्ष" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 वर्ष" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 27th August 2005

NOTIFICATION

No. F-4-367/2004/18.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 86 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes following amendment in the Chhattisgarh Municipalities Service (Executive) Rules, 1973, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,

1. In Rule 6, for the word and figure "28 years" the words and figure "30 years" shall be substituted.

2. After second proviso of Rule 6 the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the age limit in relation to direct recruitment, the directions issued by the State Government from time to time shall be applicable."

3. In the schedule II the entries in front of serial number 3 below of the column (9) for the word and figure "28 years" the word and figure "30 years" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.